न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एन.के. सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 2846–एक/2014 विरूद्व आदेश दिनांक 22–08–2014 पारित बन्दोबस्त आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी (सी) मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 39/सी./1983–84.

1. बसंत कुमार
2. विनोद कुमार
3. मधु
4. संतोष पुत्रगण कुंअर लाल सोलंकी

निवासीगण ग्राम चोर पिपरिया

तहसील केवलारी जिला–सिवनी म.प्र. —— अपीलार्थीगण

विरूद्व

1. श्री रेवती रमन (फौंत) वारिसान

दादू लबकेश नाथ पिता दादू अमरनाथ

निवासी जिला–सिवनी म.प्र.

2. श्री पंकज पुत्र अवध नारायण श्रीवास्तव

निवासी जिला–सिवनी म.प्र.

3. श्री अभिनयन नाथ सिंह पुत्र दादू

लबकेशनाथ सिंह पालक मां अनिता सिंह

निवासी सिवनी म.प्र.

4. मध्यप्रदेश शासन —— प्रत्यर्थीगण

श्री एस.के. वाजपेयी अभिभाषक – अपीलार्थीगण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं श्री रहंग डाले अभिभाषक –प्रत्यर्थीगण 1से 3

श्री. डी. के. शुक्ला अभिभाषक – प्रत्यर्थी –4

आदेश

(आज दिनांक 03 अगस्त 2015 को पारित)

यह अपील म.प्र. कृषि खातों की सीमा की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 (जिसे आगे केवल सीलिंग एक्ट कहा जायेगा) की धारा–41 के अंतर्गत बन्दोबस्त आयुक्त म.प्र. के प्रकरण क्रं. 39/सी./1983–84 में पारित आदेश दिनांक 22–08–2014 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गयी है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण 1 से 4 के पूर्वाधिकारियों रेवती रमन के विरूद्व सीलिंग एक्ट के अंतर्गत अपर बन्दोबस्त आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्व हुआ था जिसका प्रकरण क्रमांक–517/73–74/अ–90/बी–3 था इस प्रकरण में धारको की 13 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गयी थी। अंतरीम आदेश के पालन में प्रारूप विवरण पर धारकों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी। अपर बन्दोबस्त आयुक्त ने दिनांक 13–08–79 को अंतिम आदेश पारित किया जिसके अनुसार ग्राम–नरेला तहसील व जिला–सिवनी की 13 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गयी।

3/ अपर बन्दोबस्त आयुक्त के आदेश दिनांक 13–08–79 के पालन में सीलिंग एक्ट की धारा–6 के अंतर्गत जारी किये गये अंतिम विवरण में ग्राम नरेला के स्थान पर ग्राम चोर पिपरीया की भूमि शासन में वेष्टित होना अंकित किया गया। अंतिम विवरण के पश्चात वर्षो तक धारक की किसी भी भूमि का आधिपत्य लेने के लिये कोई कार्यवाहीं नहीं की गयी।

4/ वर्ष 2011 में अंतिम विवरण के आधार पर ग्राम चोर पिपरीया की भूमि का आधिपत्य लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर आवेदकगण ने बन्दोबस्त आयुक्त न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 28–03–2011 को यह आपत्ति प्रस्तुत की कि ग्राम चोर पिपरीया की भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाहीं अपर बन्दोबस्त आयुक्त के आदेश दिनांक 13–08–79 के अनुरूप नहीं है क्योंकि उक्त आदेश में ग्राम नरेला की भूमि अंतिम रूप से अतिशेष घोषित की गयी थी इस कारण अंतिम आदेश के विपरीत ग्राम नरेला के स्थान पर ग्राम चोर पिपरीया की भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाहीं वैद्य नहीं है। अपीलार्थीगण ने दूसरी आपत्ति यह की थी कि धारक रामदुलारे पुत्र रामसेवक ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18–02–1980 से आवेदकों को ग्राम चोर पिपरीया की भूमि सर्वे क्रमांक 12/13 एवं 31/1 की भूमि विक्रय कर दी थी तथा कब्जा भी अपीलार्थीगण का ही चला आ रहा है। आवेदकगण की यह आपत्ति थी कि सीलिंग

एक्ट की धारा–12 के अनुसार शासन में वेष्टित होने वाली भूमि सभी प्रकार के भारों/ऋणों' से मुक्त होना चाहिये जबकि ग्राम चोर पिपरीया की भूमि अपीलार्थीगण ने मूल्य देकर खरीदी है ऐसी भूमि भार मुक्त भूमि नहीं कहीं जा सकती है।

5/ अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गयी आपत्ति पर बन्दोबस्त आयुक्त ने वर्तमान धारको/ प्रत्यर्थीगण 1 से 3 को सूचना पत्र जारी किये उन्होंने उपस्थित होकर अपीलार्थीगण की आपत्ति का विरोध करते हुये उत्तर प्रस्तुत किया एवं अपीलार्थीगण का आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की। प्रत्यर्थीगण की ओर से अपनी आपत्ति में कहा गया था कि अपीलार्थीण दिनांक 13–08–79 को दिये गये आदेश का रिव्यू कराना चाहते है जो नियम विरूद्व है इस संबंध में उनकी ओर से राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों का उल्लेख किया गया इसके साथ यह आपत्ति भी की गयी थी कि अपीलार्थीगणने व्यवहारवाद भी प्रस्तुत किया था जो निरस्त हुआ अपीलार्थीगण द्वारा व्यवहार न्यायाधीश के आदेश के विरूद्व की गयी अपील जिला न्यायालय से निरस्त हुयी इसके बाद आवेदकों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील क्रमांक 1194/2000 प्रस्तुत की थी जो 30–10–13 को निरस्त हो चुकी है।

6/ बन्दोबस्त आयुक्त ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 22–08–2014 को विवादित आदेश पारीत किया एवं अपीलार्थीगण की आपत्ति निरस्त की बन्दोबस्त आयुक्त के आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

7/ अपीलार्थीगण की और से अभिभाषक श्री वाजपेयी द्वारा तथ्यों को दोहराते हूए अपने तर्क में यह कहा गया कि अपर बन्दोबस्त आयुक्त ने दिनांक 13–08–1979 को अंतिम आदेश पारित किया गया था जिसमें ग्राम– नरैला की 13 एकड भूमि शासन में वेष्टित की गयी थी अत: अंतिम आदेश के अनुसार ही भूमि वेष्टित की जा सकती है।

8/ उनका अगला तर्क है कि अपीलार्थीगण को धारक ने पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा जो भूमि विक्रय की है अब उसी भूमि को शासन में वैष्टित कराना चाहते हैतथा उस भूमि का मुआवजा भी लेना चाहते है. जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नही है उनका कहना है कि अपीलार्थीगण ने सक्षम अधिकारी के आदेश को निरस्त कराने के लिये व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था जिसके निरस्त हो जाने पर जिला न्यायालय में प्रथम अपील की गयी जो निरस्त हुई

एवं माननीय उच्च न्यायालय के दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के आदेशों को यथावत रखते हूए सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है. अतः सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 13–08–1979 से पृथक जाकर किसी अन्य ग्राम की भूमि शासन मे वैष्टित किया जाना विधि सम्मत नही होगा।

9/ उनका कहना है कि बन्दोबस्त आयुक्त ने अपने विवादित आदेश में भी यह माना है कि आदेश पत्रिका दिनांक 13–08–1979 त्रुटिपूर्ण है। यदि आदेश पत्रिका में कोई त्रुटि है तब उसे विधि सम्मत कार्यवाही द्वारा ही सुधारा जा सकता है. जब तक आदेश दिनांक 13–08–1979 किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त अथवा संशोधित नही किया जाता है तब तक उससे पृथक जाकर कोई कार्यवाही किया जाना अवैध होगा. उन्होने सीलिंग एक्ट की धारा –12 का उल्लेख करते हूए तर्क किया कि उक्त प्रावधान के अनुसार शासन में वैष्टित होने वाली भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिये लिया जाना माना जायेगा तथा ऐसी भूमि पूर्णतः भारमुक्त होकर शासन में वैष्टित होगी. इस प्रावधान के प्रकाश मे उनका कहना है कि ग्राम चौर पिपरिया की भूमि भारमुक्त भूमि नही है. अपीलार्थीगण को धारक ने मूल्य लेकर भूमि विक्रय की है तथा उस पर आधिपत्य भी अपीलार्थीगण का ही है.ऐसी भूमि भारमुक्त भूमि नही कही जा सकती है. अतः उनकी प्रार्थना है कि यह अपील स्वीकार की जाये बन्दोबस्त आयुक्त का विवादित आदेश निरस्त किया जाये एवं सक्षम अधिकारी के अंतिम आदेश दिनांक 13–08–1979 का अक्षरशः पालन किया जाये जब तक की वह आदेश निरस्त नही हो जाता है।

10/ प्रतिअपीलार्थीगण /धारक 1 से 4 की ओर से श्री रहमडाले एवं श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभिभाषक ने लिखित तर्क प्रस्तुत किये एवं समक्ष में कहा कि सक्षम अधिकारी का आदेश अंतिम हो चुका है माननीय उच्च न्यायालय ने उसे यथावत रखा है. अपीलार्थीगण पैत्तिस वर्षो के बाद उक्त आदेश पर आपत्ति कर रहे है जिसकी अनुमति नही दी जा सकती है उन्होने अपने तर्को में 2010 रेवेन्यू निर्णय, 2005 रेवेन्यू निर्णय 2007 रेवेन्यू निर्णय एवं 2014 रेवेन्यू निर्णय के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये उनका कहना है कि सक्षम अधिकारी के आदेश मे कोई परिवर्तन नही किया जा सकता है. बन्दोबस्त आयुक्त ने अपीलार्थीगण की आपत्ति को निरस्त करने में अपने आदेश में कोई त्रुटि नही की है. उनका आदेश यथावत रखा जाये. अपीलार्थीगण माननीय उच्च न्यायालय तक की गयी अपील मे असफल रहे है उनका कहना है कि ग्राम– चौरपिपरिया की भूमि ही शासन में वैष्टित की जाये क्योंकि धारक ने तत्समय चोरपिपरिया की भूमि वेष्टित करने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी।

11/ प्रतिअपीलार्थी कमांक–4 शासन की और से पैनल अभिभाषक श्री डी0के0 शुक्ला ने अपने तर्क में कहा कि धारको की 13 एकड भूमि अंतिम आदेश दिनांक 13–08–1979 द्वारा शासन मे वैष्टित की गयी है. शासन को उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिये सीलिंग एक्ट के अनुसार प्राप्त होना है. बन्दोबस्त आयुक्त ने अपने आदेश में कोई त्रुटि नही की है। उनका यह भी कहना है कि भूमि भार रहित मानी जायेगी।

12/ अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिअपीलार्थीगण के तर्कों का उत्तर प्रस्तुत करते हूए कहा कि अंतिम आदेश दिनांक 13–08–1979 को वे निरस्त अथवा संशोधित नही कराना चाहते है उनका कहना है कि उक्त आदेश का अक्षरशः पालन किया जाये एवं आदेश के अनुसार ही भूमि ली जाये अंतिम आदेश के पालन में अंतिम प्रारूप जारी किया जाता है। यदि अंतिम प्रारूप में कोई त्रुटि हुई है तब आदेश को वरियता प्राप्त होगी न की उसके पालन में जारी प्रारूप को। उन्होने कहा कि गाडी को घोडे के आगे नही लगाया जा सकता है। धारक/प्रतिअपीलार्थीगण को भूमि विक्रय करने के बाद अब उसी भूमि का मुआवजा भी लेना चाहते है जबकि उनके पास उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है जो भार रहित है ऐसी भूमि ही शासन में वैष्टित होना न्यायोचित है। प्रतिअपीलार्थी की ओर से इच्छा व्यक्त किये जाने के बिन्दु का उत्तर देते हुये उन्होंने कहां की यदि धारक ने ग्राम चोर पिपरिया की भूमि देने की इच्छा 1979 में व्यक्त कर दी थी तब इच्छा व्यक्त करने के पश्चात 1980 में उन्हें ग्राम चोर पिपरिया की वहीं भूमि विक्रय नहीं करना थी। भूमि विक्रय करने के कृत्य से स्पष्ट होता है कि वे न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आयें एवं शासन तथा अपीलार्थीगण दोनो को ही धोखा देना चाहते थे अतः यह अपील स्वीकार की जाये एवं अपीलार्थीगण को विक्रय की गयी भूमि के अतिरिक्त अन्य जो भी भूमि धारक के पास हो उसे शासन में वेष्टित किया जायें।

13/ मैने अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गंम्भीरता पूर्वक विचार किया इस प्रकरण मे यह निर्विवादित है कि सक्षम अधिकारी द्वारा धारको की 13 एकड भूमि अतिशेष घोषित की गयी थी. सक्षम अधिकारी का आदेश किसी भी वरिष्ठ न्यायालय से निरस्त नही हुआ है एवं वह अंतिम हो चुका है. इस अपील में केवल विवाद यह है कि किस ग्राम की भूमि शासन में वैष्टित होना माना जाये. अंतिम आदेश के अनुसार ग्राम– नरैला की अथवा अंतिम आदेश के

पालन में जारी किये गये अंतिम प्रारूप में वर्णित ग्राम– चौरपिपरिया की भूमि।

14/ अपीलार्थीगण एवं प्रतिअपीलार्थीगण दोनो का ही यह कहना है की अंतिम आदेश दिनांक 13–08–1979 यथावत है तथा निरस्त नही हुआ है. अतः मेरा मत है कि अंतिम आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य एवं आदेशात्मक है। यदि अंतिम आदेश के पालन में कोई त्रुटि हुई है तब आदेश ही प्रभावी माना जायेगा. बन्दोबस्त आयुक्त ने आदेश पत्रिका को त्रुटिपूर्ण माना है जो कि मेरे मत में उनके विचाराधिकार से बाहर है क्योकि कोई भी आदेश जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हूए निरस्त अथवा संशोधित नही कर दिया जाता तब तक उसे त्रुटिपूर्ण होने की संज्ञा नही दी जा सकती है. यह भी विवादित नही है कि अपीलार्थीगण को धारक ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा ग्राम चौर पिपरिया की भूमि विक्रय की है तथा आधिपत्य भी अपीलार्थीगण का चला आ रहा है. अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रमाणित होता है कि धारक ने अंतिम आदेश दिनांक 13–8–1979 जिसमें ग्राम – नरैला की भूमि अतिशेष घोषित की गयी थी के पश्चात 1980 में अपीलार्थीगण को ग्राम – चौरपिपरिया की भूमि विक्रय की थी यदि ग्राम – चौर पिपरिया की भूमि अतिशेष की गयी होती तब धारक ऐसी भूमि को विक्रय नहीं करते।धारक का कृत्य उसकी दुर्भावना को भी दर्शाता है।।

15/ मैं अपीलार्थीगण की और से किये गये तर्को में बल होना पाता हूँ, जब तक अंतिम आदेश यथावत है तब तक उससे पृथक जाकर किसी अन्य ग्राम की भूमि का उल्लेख करते हूए न तो अंतिम प्रारूप जारी किया जा सकता था और न ही अंतिम आदेश से पृथक जाकर किसी अन्य ग्राम की भूमि शासन में वैष्टित होना मानी जा सकती है। सीलिंग एक्ट का उददेश्य सार्वजनिक उददेश्यों के लिये भूमि प्राप्त करने का है. धारा– 12 के प्रावधान भी अपने आप मे स्पष्ट है शासन में वैष्टित होने वाली भूमि भाररहित होगी।

16/ उक्त विवेचना, बन्दोबस्त आयुक्त के अभिलेख, दोनो पक्षों के तर्को तथा सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के प्रकाश में यह अपील स्वीकार की जाती है। आदेश दिनांक 13–08–1979 किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है तथा वह अंतिम हो चुका है अतः बन्दोबस्त आयुक्त का यह निष्कर्ष कि आदेश पत्रिका दिनांक 13–08–1979, जिसके द्वारा भूमि अंतिम रूप से अतिशेष घोषित की गयी, त्रुटिपूर्ण है उचित नही ठहराया जा सकता है अतः बन्दोबस्त आयुक्त का विवादित आदेश दिनांक 22–08–2014 निरस्त किया जाता है।

17/ क्योकि अधीनस्थ न्यायालय के अंतिम आदेश के पश्चात कार्यवाही में लंबा समय व्यतीत हो चुका है। शासन को अभी तक अतिशेष घोषित भूमि प्राप्त नही हो सकी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को निर्देषित किया जाता है कि वे सीलिंग एक्ट की धारा –12 के प्रकाश में प्रतिअपीलार्थीगण/धारक के स्वत्व एवं आधिपत्य की भार रहित 13 एकड भूमि शासन में वैष्टित किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें तथा धारक को अपनी इच्छा प्रकट करने का एक अवसर प्रदान करते हूए उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि में से 13 एकड भूमि के लिये अंतिम प्रारूप नियमानुसार जारी करें।

(एम0 के0 सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल म0प्र0

ग्वालियर